प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0,
विशाल कॉमप्लेक्स,
19–ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
जनपद–औरैया, बरेली, एटा, हापुड़ एवं सम्भल।

पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0 / CH/SNCU / 36 / 2018–19 / 6889-5 **दिनांक** 25 **/ 09 / 2018**

विषय–जिला महिला / संयुक्त चिकित्सालय में सिक न्यूबोर्न केयर इकाई (SNCU) के उपकरणों के क्रय हेतु जिला कार्ययोजना (डैप) के अनुसार स्वीकृत धनराशि के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

कृपया इस कार्यालय के पत्र संख्या एस0पी0एम0यू0 / CH/SNCU / 36 / 2017–18 / 10466–5, दिनांक 11.01.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें उक्त पत्र के माध्यम से आपके जनपदों के जिला महिला / संयुक्त चिकित्सालयों में सिक न्यूबोर्न केयर इकाई (SNCU) की स्थापना किये जाने हेतु FMR Code-B.5.6.1 पर छोटी–मोटी मरम्मत हेतु (Repair & Renovation for SNCU) प्रति इकाई रू0 4.00 लाख की दर से तथा FMR Code-A.2.2.1 पर One time Establishment Cost हेतु प्रति इकाई रू0 12.00 लाख की धनराशि इकाई की स्थापना किये जाने हेतु धनराशि एवं विस्तृत दिशा निर्देश प्रेषित किये गये थे।

जनपदों के जिला महिला / संयुक्त चिकित्सालयों में सिक न्यूबोर्न केयर इकाई (SNCU) इकाई की स्थापना के उपरान्त प्रति एस0एन0सी0यू0 उपकरणों के क्रय हेतु रू0 25.00 लाख की धनराशि उपलब्ध करायी जानी थी।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है वर्ष 2018–19 के लिये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत गतिविधियों के संचालन हेतु वित्त अनुभाग, एस0पी0एम0यू0 द्वारा जारी इस कार्यालय के पत्र संख्या–एस0पी0 एम0यू0 / एन0एच0एम0 / आपरेशनल गाईडलाइन / 2017–18 / 282 / 1041–2, दिनांक 08.05.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र माध्यम से जिला कार्ययोजना (डैप) के अनुसार धनराशि जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को स्वीकृत की जा चुकी है। **उक्त के क्रम में स्वीकृत धनराशि का उपयोग जनपद स्तर पर उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा एवं जिला कार्ययोजना (डैप) के सापेक्ष व्यय विवरण प्रेषित किया जायेगा।**

वित्त पोषण –

भारत सरकार द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में FMR Code-B16.1.2.2 पर जनपद स्तर पर 12 शैय्या की सिक न्यूबोर्न केयर इकाई (SNCU) के लिये आवश्यक उपकरणों के जनपद स्तर पर क्रय हेतु प्रति इकाई रू0 25.00 लाख की दर से नीचे दी गयी तालिकानुसार जिला कार्ययोजना (डैप) में धनराशि स्वीकृत की गयी सीमा तक व्यय किया जाना है।

District wise Funds Allocation for Procurement of Equipments SNCU FY 2018-19				
S.N.	Name of Districts	Name of Units	Procurement of Equipments for SNCUs (Rs. in Lacs)	**Total Fund Approved to DHS (In Rs.)**
FMR Code			**B16.1.2.2**	
1	Auraiya	Auraiya DWH/SNCU	2500000	**2500000**
2	Bareilly	Bareilly DWH/SNCU	2500000	**2500000**
3	Etah	Etah DWH/SNCU	2500000	**2500000**
4	Hapur	Hapur DCH/SNCU	2500000	**2500000**
5	Sambhal	Sambhal DCH/SNCU	2500000	**2500000**

मुख्य चिकित्सा अधिकारी उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि यथाशीघ्र सम्बन्धित जिला महिला / संयुक्त चिकित्सालयों को उपलब्ध करना सुनिश्चित करें।

- **सिक न्यूबोर्न केयर इकाई (SNCU) के लिये उ0प्र0 मेडिकल सप्लाई कार्पोरेशन स्तर पर दर अनुबन्ध / क्रय किये जाने वाले आवश्यक उपकरणों की सूची पत्र के साथ संलग्न प्रेषित की जा रही है।**
- **सिक न्यूबोर्न केयर इकाई (SNCU) हेतु दिशा निर्देशानुसार आवश्यक अन्य उपकरणों का नियमानुसार जनपद स्तर पर क्रय प्रमुख मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला / संयुक्त चिकित्सालय द्वारा किया जायेगा।**

नोट –

1. धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाये।
2. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के वित्तीय अभिलेख कैश बुक लेजर चैक इश्यू रजिस्टर, स्थायी सम्पत्तियों का राजिस्टर आदि लेखापुस्तकों में सभी प्रविष्टियॉ समय से पूर्ण कराये साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी द्वारा कराना सुनिश्चित करें।
3. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित करायें जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहे।
4. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टयों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्ट की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।
5. व्यय से सबन्धित समस्त लेखाबहियॉ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं मासिक कान्करेन्ट अडिटर, स्टेटच्यूरी अडिटर, महालेखाकार की अडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
6. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाईड लाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निदेशों एवं प्रक्रिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।
7. किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिये प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय, एवं सम्बन्धित लिपिक/द्वितीय संयुक्त हस्ताक्षरी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें। मुख्य चिकित्साधिकारी का दायित्व होगा कि स्वयं भी आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं के माध्यम से वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करायें।
8. प्रत्येक माह एस0एन0सी0यू0 से मदवार व्यय विवरण प्राप्त किया जाये जिसे जिला लेखा प्रबन्धक के माध्यम से वित्त अनुभाग एस0पी0एम0यू0 तथा कार्यक्रम अधिकारी को ससमय प्रेषित किया जाये।
9. जिन बिन्दुओं पर सी0ए0जी0 ने आपत्ति की है उनकी पुनरावृत्ति न की जाय, इसको शासन स्तर पर गंम्भीरता से लिया जायेगा। सी0ए0जी0 की रिपोर्ट वेबसाईट पर उपलब्ध है।
10. इस कार्यालय के पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/एन0आर0एच0एम0/2012–13/लेखा/पी0एफ0एम0एस0 /187/96–2, दिनांक 08/04/2015 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि समस्त भुगतान पब्लिक फाईनेशियल मॅनेजमेन्ट सिस्टम (PFMS) वेब पोर्टल से तैयार ई–पेमेन्ट प्रिन्ट एडवाइज के माध्यम से ही भुगतान किया जायेगा।

संलग्नक – UPMSC स्तर पर दर अनुबन्ध/क्रय किये जाने वाले SNCU के उपकरणों की सूची।

भवदीय,

(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक

पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/CH/SNCU/36/2018–19/ **दिनांक /09/2018**

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महानिदेशक, परिवार कल्याण, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मेडिकल सप्लाई कार्पोरेशन, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ उत्तर प्रदेश।
3. सम्बन्धित, मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
4. सम्बन्धित ज़िलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
5. सम्बन्धित प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, ज़िला महिला/संयुक्त चिकित्सालय, उत्तर प्रदेश।
6. सम्बन्धित, मण्डलीय एवं जनपदीय कार्यक्रम प्रबंधक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
7. हेल्थ स्पेशलिस्ट, यूनीसेफ, उ0प्र0 बी–3/258, विशाल खन्ड, गोमती नगर, लखनऊ, उ0प्र0।

(डा0 अनिल कुमार वर्मा)
महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0,
विशाल कॉमप्लेक्स,
19–ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
जनपद–औरैया, बरेली, एटा, हापुड़ एवं सम्भल।

पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0 / CH/SNCU / 36 / 2018–19 / **दिनांक 25 / 09 / 2018**

विषय–जिला महिला / संयुक्त चिकित्सालय में सिक न्यूबोर्न केयर इकाई (SNCU) के उपकरणों के क्रय हेतु जिला कार्ययोजना (डैप) के अनुसार स्वीकृत धनराशि के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

कृपया इस कार्यालय के पत्र संख्या एस0पी0एम0यू0 / CH/SNCU / 36 / 2017–18 / 10466–5, दिनांक 11.01.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें उक्त पत्र के माध्यम से आपके जनपदों के जिला महिला / संयुक्त चिकित्सालयों में सिक न्यूबोर्न केयर इकाई (SNCU) की स्थापना किये जाने हेतु FMR Code-B.5.6.1 पर छोटी–मोटी मरम्मत हेतु (Repair & Renovation for SNCU) प्रति इकाई रू0 4.00 लाख की दर से तथा FMR Code-A.2.2.1 पर One time Establishment Cost हेतु प्रति इकाई रू0 12.00 लाख की धनराशि इकाई की स्थापना किये जाने हेतु धनराशि एवं विस्तृत दिशा निर्देश प्रेषित किये गये थे।

जनपदों के जिला महिला / संयुक्त चिकित्सालयों में सिक न्यूबोर्न केयर इकाई (SNCU) इकाई की स्थापना के उपरान्त प्रति एस0एन0सी0यू0 उपकरणों के क्रय हेतु रू0 25.00 लाख की धनराशि उपलब्ध करायी जानी थी।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है वर्ष 2018–19 के लिये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत गतिविधियों के संचालन हेतु वित्त अनुभाग, एस0पी0एम0यू0 द्वारा जारी इस कार्यालय के पत्र संख्या–एस0पी0 एम0यू0 / एन0एच0एम0 / आपरेशनल गाईडलाइन / 2017–18 / 282 / 1041–2, दिनांक 08.05.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र माध्यम से जिला कार्ययोजना (डैप) के अनुसार धनराशि जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को स्वीकृत की जा चुकी है। **उक्त के क्रम में स्वीकृत धनराशि का उपयोग जनपद स्तर पर उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा एवं जिला कार्ययोजना (डैप) के सापेक्ष व्यय विवरण प्रेषित किया जायेगा।**

<u>वित्त पोषण –</u>

भारत सरकार द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में FMR Code-B16.1.2.2 पर जनपद स्तर पर 12 शैय्या की सिक न्यूबोर्न केयर इकाई (SNCU) के लिये आवश्यक उपकरणों के जनपद स्तर पर क्रय हेतु प्रति इकाई रू0 25.00 लाख की दर से नीचे दी गयी तालिकानुसार जिला कार्ययोजना (डैप) में धनराशि स्वीकृत की गयी सीमा तक व्यय किया जाना है।

District wise Funds Allocation for Procurement of Equipments SNCU FY 2018-19				
S.N.	Name of Districts	Name of Units	Procurement of Equipments for SNCUs (Rs. in Lacs)	**Total Fund Approved to DHS (In Rs.)**
	FMR Code		**B16.1.2.2**	
1	Auraiya	Auraiya DWH/SNCU	2500000	**2500000**
2	Bareilly	Bareilly DWH/SNCU	2500000	**2500000**
3	Etah	Etah DWH/SNCU	2500000	**2500000**
4	Hapur	Hapur DCH/SNCU	2500000	**2500000**
5	Sambhal	Sambhal DCH/SNCU	2500000	**2500000**

मुख्य चिकित्सा अधिकारी उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि यथाशीघ्र सम्बन्धित जिला महिला / संयुक्त चिकित्सालयों को उपलब्ध करना सुनिश्चित करें।

- **सिक न्यूबोर्न केयर इकाई (SNCU) के लिये उ0प्र0 मेडिकल सप्लाई कार्पोरेशन स्तर पर दर अनुबन्ध / क्रय किये जाने वाले आवश्यक उपकरणों की सूची पत्र के साथ संलग्न प्रेषित की जा रही है।**
- **सिक न्यूबोर्न केयर इकाई (SNCU) हेतु दिशा निर्देशानुसार आवश्यक अन्य उपकरणों का नियमानुसार जनपद स्तर पर क्रय प्रमुख मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला / संयुक्त चिकित्सालय द्वारा किया जायेगा।**

नोट –

1. धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाये।
2. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के वित्तीय अभिलेख कैश बुक लेजर चैक इश्यू रजिस्टर, स्थायी सम्पत्तियों का राजिस्टर आदि लेखापुस्तकों में सभी प्रविष्टियॉ समय से पूर्ण कराये साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी द्वारा कराना सुनिश्चित करें।
3. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित करायें जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहे।
4. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टयों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्ट की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।
5. व्यय से सबन्धित समस्त लेखाबहियॉ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं मासिक कान्करेन्ट अडिटर, स्टेटच्यूरी अडिटर, महालेखाकार की अडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
6. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाईड लाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निदेशों एवं प्रक्रिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।
7. किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिये प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय, एवं सम्बन्धित लिपिक/द्वितीय संयुक्त हस्ताक्षरी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें। मुख्य चिकित्साधिकारी का दायित्व होगा कि स्वयं भी आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं के माध्यम से वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करायें।
8. प्रत्येक माह एस0एन0सी0यू0 से मदवार व्यय विवरण प्राप्त किया जाये जिसे जिला लेखा प्रबन्धक के माध्यम से वित्त अनुभाग एस0पी0एम0यू0 तथा कार्यक्रम अधिकारी को ससमय प्रेषित किया जाये।
9. जिन बिन्दुओं पर सी0ए0जी0 ने आपत्ति की है उनकी पुनरावृत्ति न की जाय, इसको शासन स्तर पर गंम्भीरता से लिया जायेगा। सी0ए0जी0 की रिपोर्ट वेबसाईट पर उपलब्ध है।
10. इस कार्यालय के पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/एन0आर0एच0एम0/2012–13/लेखा/पी0एफ0एम0एस0 / 187/96–2, दिनांक 08/04/2015 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि समस्त भुगतान पब्लिक फाईनेशियल मॅनेजमेन्ट सिस्टम (PFMS) वेब पोर्टल से तैयार ई–पेमेन्ट प्रिन्ट एडवाइज के माध्यम से ही भुगतान किया जायेगा।

संलग्नक – UPMSC स्तर पर दर अनुबन्ध/क्रय किये जाने वाले SNCU के उपकरणों की सूची।

भवदीय,

(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक

पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/CH/SNCU/36/2018–19/ 6889-5(7) **दिनांक /09/2018**

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महानिदेशक, परिवार कल्याण, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मेडिकल सप्लाई कार्पोरेशन, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ उत्तर प्रदेश।
3. सम्बन्धित, मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
4. सम्बन्धित ज़िलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
5. सम्बन्धित प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, ज़िला महिला/संयुक्त चिकित्सालय, उत्तर प्रदेश।
6. सम्बन्धित, मण्डलीय एवं जनपदीय कार्यक्रम प्रबंधक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
7. हेल्थ स्पेशलिस्ट, यूनीसेफ, उ0प्र0 बी–3/258, विशाल खन्ड, गोमती नगर, लखनऊ, उ0प्र0।

(डा0 अनिल कुमार वर्मा)
महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य